बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि.प्रा. (III) यो.– 18 / 2016– / पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय– विभागान्तर्गत शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम तथा पूर्णिया अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया में भारत सरकार के उपक्रम रेलटेल कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से 32 Mbps Lease Line उपलब्ध कराने हेतु कुल रू. 21,83,000=00 (इक्कीस लाख तेरासी हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने विशेष कार्य पदाधिकारी, शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम तथा प्राचार्य पूर्णिया अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया के क्रमशः पत्रांक–122, दिनांक 13.09.2017 तथा पत्रांक–35, दिनांक 08.09.2017 के द्वारा उपलब्ध कराये गए डिमांड नोट के आधार पर उक्त संस्थानों में भारत सरकार के उपक्रम रेलटेल कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से 32 Mbps Lease Line उपलब्ध कराने हेतु कुल रू. 21,83,000=00 (इक्कीस लाख तेरासी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त राशि संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है–

क्रम सं.	संस्थान का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम	11,21,000=00
2.	पूर्णिया अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया	10,62,000=00
	कुल	**21,83,000=00**

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2017–18 के राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–105 –इंजीनियरिंग / तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0106–अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय)" के अधीन 52 02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 43–4202021050106 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम तथा प्राचार्य, पूर्णिया अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, सासाराम एवं पूर्णिया से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से रेलटेल कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

7. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ –

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 18 / 2016– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 18 / 2016– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, सासाराम / पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 18 / 2016– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम तथा प्राचार्य, पूर्णिया अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ / –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) यो॰– 18 / 2016– 579 / पटना, दिनांक– 1-3-2018

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / उप निदेशक (यो) / बजट सहायक / आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.03.18

सरकार के उप सचिव

01/03/18